

क्रमांक :- 1293

दिनांक :- 31/10/23

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परि०,
हरियाणा, अम्बाला।

विषय :-

Diversion of 0.003374 Ha. of Forest Land for access to Rice Milling & Trading of Food Grains etc. under the name and Style of M/s Siddhi Vinayak Foods on Kaithal Road, Km. stone 4-5 at Vill. Chandana, in Distt. Kaithal, under Forest Division & Distt. Kaithal, Haryana.

:-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में Sarthak Bansal, Partner M/s Siddhi Vinayak Foods द्वारा **Diversion of 0.003374 Ha. of Forest Land for access to Rice Milling & Trading of Food Grains etc. under the name and Style of M/s Siddhi Vinayak Foods on Kaithal Road, Km. stone 4-5 at Vill. Chandana, in Distt. Kaithal, under Forest Division & Distt. Kaithal, Haryana** के प्रयोग हेतु इस केस में 0.003374 हैक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत जो प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस केस की औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इस प्रस्ताव में यूजर एजैन्सी द्वारा नैट प्रजैन्ट वैल्यू आफ लैण्ड की राशि 3232/-रु०, क्षतिपूर्ति पौधारोपण हेतु 39,676/-रु० तथा 20 प्रतिशत ओवर हैड में राशि 7935/-रु० व बाधक वृक्षों की कटाई का खर्च 0/-रु० तथा नष्ट पौधारोपण पर खर्च राशि 0/-रु०, 0/-रु० सहित कुल 50,843/-रु० जमा करवाई जायेगी। क्षतिपूर्ति पौधारोपण Shergarh Minor RD 36-45 R/Side पर करवाया जाएगा। प्रस्तावित स्थल के पास कोई प्रतिबन्धित वन्य क्षेत्र नहीं है। प्रस्ताव को वन संरक्षक केंद्रिय भारत सरकार की वेब साईट पर ऑन लाईन कर दिया गया है। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न/उपरोक्त।

पू० क्रमांक :- 1294-45
एक प्रति :-

दिनांक :- 31/10/23

उप वन संरक्षक,
कैथल।
27/10/23 21/10/23

1. Sarthak Bansal, Partner M/s Siddhi Vinayak Foods, Chandana Road, Village Chandana, Mob. 94168-23189 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, कैथल को उनके पत्र क्रमांक 996 दिनांक 06/01/2022 के संदर्भ में भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि भारत सरकार से केस स्वीकृत होने तक प्रभावित वन क्षेत्र में कोई कार्य न करने दिया जाए।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त प्रस्ताव में आपकी रेंज की Shergarh Minor RD 36-45 R/Side सी०ए० साईट पौधारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है, जिसमें 100 पौधे 0.1 है० में लगाए जाएंगे। अतः उक्त साईट पौधारोपण के लिए रिजर्व रख ली जाए।

उप वन संरक्षक,
कैथल।
27/10/23 21/10/23